मैसर्स एमआईडीसी-एसईजेड, पुणे, के आईटी/आईटीईएस के लिए सेक्टर विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र, का जोनल विकास आयुक्त की अध्यक्षता में, सीप्झ एसईजेड, मुंबई में दि 28.03.2024 को आयोजित 131 वी अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।		
1	एसईजेड का नाम	**मैसर्स एमआईडीसी – एसईजेड, पुणे**
2	सेक्टर	आईटी/आईटीईएस
3	बैठक संख्या	131 वीं
4	तारीख	28.03.2024

उपस्थित सदस्य

क्रमांक न.	**नाम और पदनाम (एस/श्री.)**	**विभाग**
1	श्रीमती मितल हिरेमठ,संयुक्त विकास आयुक्त पुणे	पुणे क्लस्टर एसईजेड, पुणे
2	डॉ. दिलीराज दाभोले,उप निदेशक डीजीएफटी,	पुणे डीजीएफटी विभाग से नामित
3	श्रीमती भारती आहूजा,सहायक आयुक्त, आयकर विभाग	आयकर विभाग से नामित
4	श्रीमती सुनीता जगताप, सीमा शुल्क अधीक्षक	सीमा शुल्क विभाग पुणे नामित

विशेष आमंत्रित सदस्य

क्रमांक न.	**नाम और पदनाम (श्री.)**	**विभाग**
1	श्री सतबीर शर्मा , निर्दिष्ट अधिकारी	एमआईडीसी-एसईजेड, पुणे।

एजेंडा आइटम नंबर 01: 29.02.2023 को आयोजित 130 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 29.02.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की 130 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की ।

एजेंडा आइटम नंबर 02: मेसर्स नेक्स्ट्रा डेटा लिमिटेड (सह-डेवलपर) द्वारा प्रस्तुत सामग्री की सूची के अनुमोदन के लिए आवेदन ।

विचार-विमर्श के बाद, समिति ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 12(2) के अनुसार, अधिकृत संचालन यानी संचालन और रखरखाव के लिए आवश्यक 1,89,79,002/- रुपये मूल्य की सामग्री की सूची के लिए सह-डेवलपर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

एजेंडा आइटम नंबर 03: मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड द्वारा कैफेटेरिया की स्थापना और विक्रेताओं की नियुक्ति के अनुमोदन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया।

विचार-विमर्श के बाद, समिति ने MOC&I द्वारा जारी निर्देश संख्या 95 दिनांक 11.06.2019 के साथ पठित SEZ नियम, 2006 के नियम 11(5) के अनुसार, कैफेटेरिया की स्थापना और विक्रेताओं की नियुक्ति के लिए यूनिट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जैसा नीचे विस्तृत रूप में दिया गया है:

क्रमांक	विक्रेता का नाम	गतिविधि	जगह	क्षेत्रफल वर्गफुट में.
1	मेसर्स एमडीपी फूड एंड बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड	कर्मचारियों को चाय, कॉफी जलपान और पूर्व-पका हुआ भोजन संचालित करना और उपलब्ध कराना।	एस्केंडास आईटी पार्क में अंगसाना बिल्डिंग का निचला भूतल, प्लॉट नं. 18, राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क, हिंजवडी, चरण III, एमआईडीसी पुणे 411057	11,497 वर्ग. फुट

यह अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

1. इकाई/सेवा प्रदाता ऐसी सुविधाएं बनाने या संचालित करने के लिए एसईजेड अधिनियम की धारा 7 या धारा 26 के तहत उपलब्ध किसी भी छूट, कमी, रियायतें या किसी अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।
2. इकाई, डेवलपर और सेवा प्रदाता ऐसी सुविधा की स्थापना/चलाने के लिए आवश्यक सभी वैधानिक अनुपालन जैसे फायर एनओसी और अन्य मंजूरी का पालन करेंगे।
3. यह सुविधा इकाइयों और डेवलपर के कर्मचारियों के विशेष उपयोग के लिए होगी।

एजेंडा आइटम नंबर 04: एसईजेड इकाई के भीतर रूफटॉप गैर-पारंपरिक सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना और शुल्क लाभ प्राप्त करने के लिए मेसर्स ट्यूडिप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत आवेदन।

विचार विमर्श के बाद, समिति ने MOC&I द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 07.03.2024 के अनुसार, शुल्क लाभ का लाभ उठाने के साथ कैप्टिव खपत के लिए छत पर गैर-पारंपरिक सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए यूनिट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जैसा नीचे विस्तृत रूप में दिया गया है:

1	सौर ऊर्जा संयंत्र के विक्रेता का नाम	श्री सोलर टेक
2	विक्रेता-सेवा	छत पर सौर ऊर्जा का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग
3	क्षमता	138.24 किलोवाट
4	क्षमता में वार्षिक उत्पादन	166000 किलोवाट
6	138.24KW सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए कुल लागत (Rs. 47,700 * 138.24 = Rs.65,94,048/-	Rs.65,94,048/-

अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

इकाई को राज्य सरकार/विद्युत विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किसी भी शर्त/सुरक्षा उपाय को पूरा • करना होगा।

उत्पादित गैर-पारंपरिक सौर ऊर्जा का उपयोग केवल कैप्टिव खपत के लिए किया जाएगा और इसे बाहर • नहीं बेचा जाएगा।

- ऐसे कैप्टिव उत्पादक बिजली संयंत्र समय-समय पर संशोधित विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत बनाए गए सभी नियमों, विनियमों और तकनीकी मानकों का पालन करेंगे।
- यदि बिजली उत्पादन क्षमता 500 किलोवाट से अधिक है तो वे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ पंजीकरण कराएंगे।

एजेंडा आइटम नंबर 05: एसईजेड इकाई के भीतर रूफटॉप गैर-पारंपरिक सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना और शुल्क लाभ प्राप्त करने के लिए मेसर्स टीसीएस लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत आवेदन।

विचार विमर्श के बाद, समिति ने MOC&I द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 07.03.2024 के अनुसार, शुल्क लाभ का लाभ उठाने के साथ कैप्टिव खपत के लिए छत पर गैर-पारंपरिक सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए यूनिट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जैसा नीचे विस्तृत रूप में दिया गया है:

1	सौर ऊर्जा संयंत्र के विक्रेता का नाम	मेसर्स किर्लोस्कर सोलर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
2	विक्रेता-सेवा	पूर्ण सौर ऊर्जा संयंत्र की इंजीनियरिंग, खरीद, कमीशनिंग।
3	क्षमता	264 केडब्ल्यूपी
4	क्षमता में वार्षिक उत्पादन	2,59,573 किलोवाट/वर्ष
5	264 KWP सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए कुल व्यय. (Rs. 1,35,00,000/- (less 61,15,751) = 73,84,249	रु. 73,84,249/-

अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

इकाई को राज्य सरकार/विद्युत विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किसी भी शर्त/सुरक्षा उपाय को पूरा • करना होगा।

उत्पादित गैर-पारंपरिक सौर ऊर्जा का उपयोग केवल कैप्टिव खपत के लिए किया जाएगा और इसे बाहर • नहीं बेचा जाएगा।

- ऐसे कैप्टिव उत्पादक बिजली संयंत्र समय-समय पर संशोधित विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत बनाए गए सभी नियमों, विनियमों और तकनीकी मानकों का पालन करेंगे।

- यदि बिजली उत्पादन क्षमता 500 किलोवाट से अधिक है तो वे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ पंजीकरण कराएंगे।

एजेंडा आइटम नंबर 06: मेसर्स बायोन क्लिनिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शेयरहोल्डिंग पैटर्न में बदलाव के अनुमोदन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया।

विचार-विमर्श के बाद, समिति ने MOC&I द्वारा जारी निर्देश 109 दिनांक 18.10.2021 के अनुसार शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जैसा कि नीचे बताया गया है:

स्वीकृत शेयरधारिता पैटर्न:

क्रमांक	इक्विटी शेयरधारकों का नाम	शेयरों की संख्या	कीमत	%
01	सचिन शिवाजीराव माने	4500	45,000.00	45
02	दीपक गंगाधर बागड़े	4500	45,000.00	45
03	श्रीमती लीना हरीश राठी	500	5000.00	5
04	श्रीमती स्मिता सचिन माने	500	5000.00	5
	कुल	10,000	1,00,000.00	100

अनुमोदन एमओसी&आई द्वारा जारी अनुदेश संख्या 109 में निर्धारित शर्तों के अधीन है, जो लागू हो।

a. परिवर्तित इकाई के लिए अपरिवर्तित जिम्मेदारियों और दायित्वों के साथ एसईजेड गतिविधियों की निर्बाध निरंतरता;

b. परिवर्तित इकाई और उसके घटकों द्वारा सुरक्षा मंजूरी आदि सहित लागू सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना;

सभी राजस्व/कंपनी मामलों/सेबी आदि अधिनियम/नियमों की प्रयोज्यता और अनुपालन, जो .c पूंजीगत लाभ, इक्विटी परिवर्तन, स्थानांतरण, कर योग्यता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

इक्विटी/विलय, डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व में स्थानांतरण आदि में परिवर्तन से संबंधित.d पूर्ण वित्तीय विवरण सदस्य (आईटी एंड आर), सीबीडीटी, राजस्व विभाग और क्षेत्राधिकार प्राधिकरण को तुरंत प्रस्तुत किया जाएगा।

मूल्यांकन अधिकारी को इक्विटी के हस्तांतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व में .e स्थानांतरण आदि से उत्पन्न लाभ/हानि की कर योग्यता का आकलन करने और आयकर की प्रासंगिक धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का आकलन करने का अधिकार होगा। .अधिनियम, 1961

f. आवेदक प्रासंगिक राज्य सरकार के कानूनों का पालन करेगा, जिसमें भूमि के पट्टे से संबंधित कानून भी शामिल हैं, जैसा लागू हो।

g. आवेदक को पैन और इकाई के क्षेत्राधिकार मूल्यांकन कार्यालय का विवरण सीबीडीटी को प्रस्तुत करना होगा।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

Minutes of the 131st Meeting of the Approval Committee held under the Chairmanship of Zonal Development Commissioner SEEPZ-SEZ, Mumbai for Sector Specific Special Economic Zone for IT/ITES of MIDC-SEZ, Pune held on 09.02.2024 via video conferencing.		
1	Name of the SEZ	**M/s MIDC – SEZ, PUNE**
2	Sector	IT/ITES
3	Meeting No.	131st
4	Date	28.03.2024

Members present

Sr	Name and Designation (S/Shri.)	Department
1	Smt. Mital Hiremath Joint Development Commissioner	Pune Cluster SEZ, Pune
2	Smt. Bharati Ahuja, Asst. Commissioner, IT	Nominee of Income Tax, Pune
3	Dr. Dileeraj Dabhole, Dy. DGFT	Nominee of DGFT, Pune
4	Smt. Sunita Jagtap Superintendent	Nominee of Customs, Pune

Special Invitee

Sr. No.	Name and Designation	Department
1	Shri Satbir Sharma Specified Officer	MIDC-SEZ, Pune.

Agenda Item No.01: Confirmation of the Minutes of the 130th meeting held on 29.02.2023

After deliberation, the Committee confirmed the minutes of the 130th meeting of Approval Committee held on 29.02.2024

Agenda Item No. 02: Application for Approval of List of Material submitted by M/s. Nxtra Data Ltd. (Co-Developer)

After deliberation, the committee approved the proposal of Co-Developer for list of material totally valued of Rs. 1,89,79,002/- required for authorized operations i.e., Operations and Maintenance, in terms of Rule 12(2) of, SEZ Rules, 2006.

Agenda Item No. 03: Application for approval of setting up of cafeteria and appointment of vendors submitted by M/s. Infosys Ltd.

After deliberation, the committee approved the proposal of the Unit for

setting up of cafeteria and appointment of vendors, in terms of, Rule 11(5) of SEZ Rules, 2006 read with Instruction No. 95 dated 11.06.2019, issued by MOC&I. as detailed below:

Sr. No.	Name of the Vendor	Activity	Location	Area.
1	M/s. MDP Food & Beverage Pvt Ltd.	To operate and provide tea, Coffee Refreshment and pre-cooked food to Employees.	Lower Ground Floor of Angsana Building at Ascendas IT Park, Plot No. 18, Rajiv Gandhi Infotech Park, Hinjewadi, Phase III, MIDC Pune 411057.	11,497 Sq. ft

This approval is subject to the following conditions:

1. The unit/ the Service Provider will not be eligible for any exemptions, drawback, concessions or any other benefits available under Section 7 or Section 26 of the SEZ Act for creating or operating such facilities.
2. The unit, Developer and Service provider shall adhere all the statutory compliance such as Fire NOC and other clearances required for setting up / running of such facility.
3. The facility will be for exclusive use of the employees of the units and the Developer.

Agenda Item No. 04: Application for setting up of Rooftop Non-Conventional Solar Power Plant within SEZ unit and availing Duty benefits submitted by M/s. Tudip Technologies Pvt. Ltd.

After deliberation, the committee approved the proposal of the unit for installation of rooftop Non-conventional Solar Power Plant, for captive consumption with availing of duty benefits, in terms of Office Memorandum dated 07.03.2024 issued by MOC&I, as detailed below:

1	Name of the Vendor of Solar Power Plant	Shree Solar Tech
2	Vendor-Service	Design, Supply, Installation & Commissioning of Rooftop Solar power
3	Capacity	138.24 KW
4	Annual Generation in capacity	166000 KWH
5	Total Expenditure for Installation of 138.24KW Solar Power Plant. (Rs. 47,700 * 138.24 = Rs.65,94,048/-	Rs. 65,94,048/-

The approval is subject to the following conditions:

- The unit will have to fulfill any conditions / safeguards laid down by the State Government / Electricity department, from time to time
- The non-conventional solar power generated will be used only for captive consumption and will not be sold outside
- Such Captive generating power plants shall comply with all rules, regulations and technical standards framed under the Electricity Act, 2003 as amended

from time to time.

- Captive generation power plants with capacity 500 KW and above has to be registered with Central Electricity Authority. They will register with Central Electricity Authority if power generation capacity exceeds 500 KW.

Agenda Item No.05: Application for setting up of Rooftop Non-Conventional Solar Power Plant within SEZ unit and availing Duty benefits submitted by M/s. TCS Ltd.

After deliberation, the committee approved the proposal of the unit for installation of rooftop Non-conventional Solar Power Plant, for captive consumption with availing of duty benefits, in terms of Office Memorandum dated 07.03.2024 issued by MOC&I, as detailed below:

1	Name of the Vendor of Solar Power Plant	M/s Kirloskar Solar Technologies Pvt Ltd.
2	Vendor-Service	Engineering, Procurement, Commissioning of Complete Solar Power Plant.
3	Capacity	264 KWP
4	Annual Generation in capacity	2,59,573 kWP/Year
5	Total Expenditure for Installation of 264 KWP Solar Power Plant. (Rs. 1,35,00,000/- (less 61,15,751) = 73,84,249	Rs. 73,84,249/-

The approval is subject to the following conditions:

- The unit will have to fulfill any conditions / safeguards laid down by the State Government / Electricity department, from time to time
- The non-conventional solar power generated will be used only for captive consumption and will not be sold outside
- Such Captive generating power plants shall comply with all rules, regulations and technical standards framed under the Electricity Act, 2003 as amended from time to time.
- Captive generation power plants with capacity 500 KW and above has to be registered with Central Electricity Authority. They will register with Central Electricity Authority if power generation capacity exceeds 500 KW.

Agenda Item No.06: Application for approval of Change in shareholding pattern M/s. Bion Clinicals Pvt Ltd.

After deliberation, the committee approved the proposal of the unit for change in shareholding pattern, in terms of Instruction 109 dated 18.10.2021, issued by MOC&I, as detailed below:

Approved shareholding pattern:

Sr. No.	Name of the Equity shareholders	No. of Shares	Value	% age
01	Sachin Shivajirao Mane	4500	45,000.00	45

02	Deepak Gangadhar Bagde	4500	45,000.00	45
03	Mrs Leena Harish Rathi	500	5000.00	5
04	Mrs Smita Sachin Mane	500	5000.00	5
	Total	10,000	1,00,000.00	100

The approval is subject to the conditions as laid down in Instruction No. 109, as applicable, issued by MOC&I

a. Seamless continuity of the SEZ activities with unaltered responsibilities and obligations for the altered entity;
b. Fulfilment of all eligibility criteria applicable, including security clearances etc. by the altered entity and its constituents;
c. Applicability of and compliance with all Revenue/Company Affairs/SEBI etc. Act/Rules which regulate issues like capital gains, equity change, transfer, taxability etc.
d. Full financial details relating to change in equity/merger, de-merger, amalgamation or transfer in ownership etc. shall be furnished immediately to Member (IT&R), CBDT, Department of Revenue and to the jurisdictional Authority.
e. The assessing officer shall have the right to assess the taxability of the gain/loss arising out of the transfer of equity or merger, de-merger, amalgamation, transfer in ownership etc. as may be applicable and eligibility for deduction under relevant sections of the Income Tax Act, 1961.
f. The applicant shall comply with relevant State Government laws, including those relating to lease of land, as applicable.
g. The applicant shall furnish details of PAN and jurisdictional assessing office of the unit to CBDT.

Meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

12.04.2024

(राजेश कुमार मिश्रा, आईआरएस)
अध्यक्ष एवं विकास आयुक्त
(Rajesh Kumar Mishra, IRS)
Chairman and Development Commissioner